न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 08/2020

प्रार्थी		अप्रार्थी
1 बाबूराम पुत्र अगराराम जाति मेघवाल निवासी बोथिया जांगीर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील प्रार्थी।

2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 19.01.21

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोथिया जागीर पटवार मण्डल कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 329/94 रकबा 0.10 बीघा खसरा संख्या 553/94 रकबा 07.10 बीघा भूमि की आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त दोनो ही खसरों की तरमीम की हुई है, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम तथा मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता है। मौके पर खसरा संख्या 553/94 का रकबा 03.15 बीघा तथा खसरा संख्या 329/94 रकबा 04.05 बीघा कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त की जानी आवश्यक है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर से मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2021/463 दिनांक 18.01.2021 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खसरा संख्या 329/94 रकबा 0.10 बीघा व खसरा संख्या 553/94 रकबा 07.10 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जबकि मौके पर कब्जा काश्त व नक्शे में तरमीम तदनुसार नही है। मौके पर खसरा संख्या 553/94 का रकबा 03.15 बीघा व खसरा संख्या 329/94 का रकबा 04.05 बीघा है। उक्त दोनों ही खसरों का कुल रकबा 08.00 बीघा है, जिसका खातेदार बाबूराम पुत्र अमराराम है। उक्त भूमि पूर्व में खातेदार रूपा पुत्र भीखा के नाम थी, जिसका मूल खसरा संख्या 329/94 रकबा 23.07 बीघा था। उक्त भूमि की अवाप्ति ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम नामान्तकरण संख्या 566 के अनुसार 552/94 रकबा 15.07 बीघा अवाप्त की गई। मूल खातेदार द्वारा अन्य खातेदार बाबूराम को बेचान करने से जरिये नामान्तकरण संख्या 669 बाबूराम के नाम से दोनों ही खसरे दर्ज हुए। वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 553/94 का रकबा 03.15 बीघा व खसरा संख्या 329/94 का रकबा 04.05 बीघा है। अभिलेख में दोनों ही खसरों का योग 08.00 बीघा होता है। मौके पर कब्जे के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दुरूस्त किया जाता है तो इससे अन्य कोई खातेदार प्रभावित नही होंगे तथा मौके पर रेकर्ड की स्थिति भी शुद्ध हो जायेगी।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार खसरा संख्या 553/94 जिसका रकबा 0.10 बीघा तथा खसरा संख्या 329/94 जिसका रकबा राजस्व अभिलेख में 07.10 बीघा है, कुल रकबा 08.00 बीघा है। मौके पर खसरा संख्या 553/94 का रकबा 03.15 बीघा व खसरा संख्या 329/94 का रकबा 04.05 बीघा है, जिसका कुल रकबा 08.00 बीघा होता है तथा दोनों ही खसरों का खातेदार बाबूराम है। रेकर्ड की स्थिति मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार शुद्ध की जाती है तो इससे अन्य कोई खातदेार प्रभावित भी नही होगा तथा अभिलेख भी शुद्ध हो जायेगा।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जाचं प्रतिवेदन के मद्देनजर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बोथिया जागीर पटवार मण्डल कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 329/94 रकबा 0.10 बीघा खसरा संख्या 553/94 रकबा 07.10 बीघा के स्थान पर खसरा संख्या 329/94 रकबा 04.05 बीघा व खसरा संख्या 553/94 रकबा 03.15 बीघा शुद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 19.01.21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:42 IST
Reason: SelfAttested